



प्रेषक,

ए0पी0 तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
नौएडा,
गौतमबुद्धनगर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 27 नवम्बर, 2014

विषय:- उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 148 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या-1779/ 39-4-2012-15(59)/ 2012 दिनांक 31 अगस्त, 2012 के द्वारा सौंपी गयी जांच में धारा 10 (5) की अपेक्षानुसार अग्रेतर अन्वेषण समाप्त करने की सूचना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप सचिव, लोकायुक्त, उ0प्र0 के पत्र संख्या-2310-2012/ 608/ 4136, दिनांक 14.10.14 जो नौएडा के पत्र संख्या-नौएडा/ संस्थागत/ 2014/ 1207 दिनांक 12.08.14 के संदर्भ में है, की छायाप्रति संलग्नक सहित प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 12(5) के प्राविधानों के अनुसार अग्रेतर अन्वेषण समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

2. लोकायुक्त के संलग्न पत्र में की गयी संस्तुति के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(ए0पी0 तिवारी)
उप सचिव।